दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 04 सितंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 335

महत्वपूर्ण एवं खास

गुरुग्राम में 16 साल के बच्चे ने आठवीं मंजिल से कूदकर दे दी जान

गुरुग्राम (आरएनएस)। गुरुग्राम के सेक्टर-52 इलाके में बीती शाम एक आवासीय सोसायटी की आठवीं मंजिल की बालकनी से कूदकर 16 वर्षीय एक लड़के ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ित को सेक्टर-43 के एक निजी अस्पताल में ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कहा कि चरम कदम के पीछे के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। सेक्टर-53 थाने के एसएचओ ने कहा, मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। हम मौत के कारणों का पता लगा रहे हैं।

किसान संगठनों ने किया 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान

नयी दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किए गए, 25 सितंबर को ''भारत बंद'' के आह्वान का वामपंथी दलों ने समर्थन करने की घोषणा की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एक संयुक्त बयान में लोगों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की गई है। बयान में रेखांकित किया गया है कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर किसानों का संघर्ष 10 माह से जारी है। वामपंथी दलों ने कहा, ''नरेंद्र मोदी सरकार अड़ी हुई है और वार्ता के जरिए किसानों से संवाद करने से मना कर रही है। वामपंथी दल सरकार के इस रुख की निंदा करते हैं और तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लेने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को समाप्त किया जाए और श्रम संहिताओं को खत्म किया जाए।'' बयान में कहा गया है, ''वामपंथी दल अपनी सभी इकाइयों से भारत बंद की सफलता के लिए सक्रियता से काम करने का आह्वान करते हैं। वामपंथी दल लोगों से भी भारत बंद का समर्थन करने की अपील करते हैं।

न्यूजीलैंड में आतंकवादी हमला, छह घायल

वेलिंगट। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में आज आतंकवादी हमले में छह लोग घायल हो गए। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने हमले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि ऑकलैंड में न्यू लिन सुपरमार्केट में स्थानीय समयानुसार दोपहर 14.40 बजे एक हिंसक चरमपंथी ने वहां मौजूद लोगों पर चाकू से हमला किया। सुश्री आर्डन ने कहा कि हमलावर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) से प्रेरित था। यह संदिग्धएक श्रीलंकाई नागरिक है , जो अक्टूबर 2011 में न्यूजीलैंड आया था। प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद न्यूज़ीलैंड के पुलिस आयुक्त एंड्रयू कॉस्टर ने कहा कि पुलिस ने कई लोगों को घायल करने वाले हमलावर को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गयी।

अफगानिस्तान के घटनाक्रम का बांग्लादेश पर हुआ असर

ढाका। बांग्लादेश परंपरागत रूप से अफगानिस्तान के घटनाक्रम से प्रभावित रहा है, जिसने समय के साथ बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी मैट्रिक्स और हिंसक चरमपंथ की गाथा को प्रभावित किया है। 1979-1989 तक अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के दौरान, बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों ने सोवियत सेना के खिलाफ लड़ाई में अफगान मुजाहिदीन के साथ भाग लिया। एक अच्छी तरह से तेलयुक्त तंत्र स्थापित किया गया था जिससे इच्छुक बांग्लादेशी आसानी से अफगानिस्तान के लिए अपना रास्ता खोज सकें। विभिन्न अनुमानों के अनुसार, लगभग 3,000 बांग्लादेशियों ने सोवियत संघ के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया। कुछ अनुमानों के अनुसार, बांग्लादेशी कैडरों ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुछ तो छोटी मुजाहिदीन इकाइयों के कमांडर भी बन गए। रिपोर्टरें से यह भी संकेत मिलता है कि समय-समय पर तथाकथित बंगाली मुजाहिदीन और ओसामा बिन लादेन के बीच सीधा संबंध था।

जाति प्रमाण पत्र की बार-बार नहीं की जा सकती जांचः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के जाति प्रमाणपत्र की बार-बार पड़ताल करना उनके लिए हानिकारक होगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि उनके पक्ष में जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र को जांच समिति द्वारा एक बार में ही सत्यापित माना जाना चाहिए।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अपने फैसले में कहा, जांच समितियों द्वारा जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन का उद्देश्य झूठे और फर्जी दावों से बचना है। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बार-बार पड़ताल करना एससी-एसटी के लोगों के लिए हानिकारक है। जाति प्रमाण पत्र की जांच को तभी दोबारा खोला जाना चाहिए, जब धोखाधड़ी की आशंका हो या जब उन्हें उचित जांच के बिना जारी किया गया हो। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णयों का हवाला देते हुए कहा, जांच समिति एक प्रशासनिक शाखा है, जो तथ्यों का सत्यापन करी है और जातिगत स्थिति के दावों की जांच करती है। इसके आदेशों को संविधान के अनुच्छेद-226 (न्यायिक समीक्षा की शक्ति) के तहत चुनौती दी जा सकती है। पीठ ने साथ ही चेन्नई जिला सतर्कता समिति के साल 2008 के उस निर्णय के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें समिति ने जे. चित्रा के 1982 में जारी जाति प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। प्रमाणपत्र में चित्रा को वल्लुवन समुदाय का बताया गया था, जो अनुसूचित जाति है। लेकिन जब चित्रा की नौकरी महालेखाकार कार्यालय में हुई तो डॉ अंबेडकर सर्विस एसोसिएशन ने चित्रा द्वारा प्रस्तुत किए गए सामुदाय प्रमाण पत्र पर संदेह जताते हुए एक शिकायत की। जिला सतर्कता समिति द्वारा की गई जांच में यह विचार व्यक्त किया गया कि वह वल्लुवन समुदाय से है, जो एक अनुसूचित जाति है।

एसोसिएशन ने फिर से एक शिकायत की और आरोप लगाया कि उसने झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में रोजगार हासिल किया। राज्य स्तरीय जांच समिति ने मामला फिर से जिला सतर्कता समिति को दोबारा जांच के लिए भेज दिया। दोबारा जांच के बाद चित्रा को जारी सामुदायिक प्रमाण पत्र को समिति ने रद्द कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देशों को पढ़ने के बाद पाया कि एक बार जारी किए गए सामुदायिक प्रमाण पत्र की मान्यता को अंतिम माना जाता है। उसके बाद राज्य स्तरीय जांच समिति के पास मामले को फिर से खोलने और जिला स्तरीय सतर्कता समिति को नए सिरे से विचार करने के लिए कहने का अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राज्य डीजीपी नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुवनाई करने से इनकार करते हुए कहा कि जब यह याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है तो इसे फिर से लगाने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बार-बार इस तरह के आवेदन से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है और अदालत का कामकाज प्रभावित होता है।

भारत एवं नेपाल सैकड़ो परियोजनाओं का करेगा पुनर्निर्माण

» दोनों देशों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षकर किया करार

नई दिल्ली,03 सितंबर (आरएनएस)। नेपाल एवं भारत ने पर्वतीय देश में 2015 में विध्वंसकारी भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई सांस्कृतिक विरास के 14 एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के 103 ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए शुक्रवार को एक एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये।

सूत्रों के अनुसार इन परियोजनाओं का 420 करोड़ नेपाली रूपये (3.6 करोड़ डॉलर) की लागत से पुनर्निर्माण किया जाएगा। भारतीय दूतावास एवं (नेपाल के) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण की केंद्रीय स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन इकाई (भवन) ने ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा और धाडिंग जिलो में सांस्कृतिक धरोहर के 17 ढांचों तथा ललितपुर, रसुवा, नुवाकोट, सिंधुपालचौक, रामेछाप, ढोलखा, गुल्मी, गोरखा एवं कावरे जिलों में स्वास्थ्य क्षेत्र के 103 ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये। इन सहमति पत्रों पर भारतीय मिशन के प्रथम सचिव (विकास साझेदारी एवं पुनर्निर्माण) करूण बंसल और नेपाल के सीएलपीआईयू (भवन) के परियोजना निदेशक श्याम किशोर सिंह ने हस्ताक्षर किये। भारतीय मिशन के अनुसार भूकंप के बाद पुनर्निर्माण पैकेज के तहत भारत ने नेपाल को शिक्षा, सांस्कृति धरोहर एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पांच पांच करोड़ रूपये तथा आवास क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रूपये यानी कुल25 करोड़ रूपये का अनुदान दिया है। उसने कहा कि 10 जिलों में शिक्षा क्षेत्र की 71, सांस्कृतिक धरोहर की 28, स्वास्थ्य क्षेत्र की 147, तथा गोरखा एवं नुवाकोट में 50000 मकानों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उसने कहा कि भारत सरकार इन सभी क्षेत्रों में नेपाल के पुनर्निर्माण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है।

कत्ल किया नहीं, जेल में काट दिए 17 साल, मिलेगा 2 लाख का मुआवजा

» 17 साल बाद धुला कलंक

ग्वालियर (आरएनएस)। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया जिले के तैढौत गांव के पहलवान सिंह को अपनी ही मां और पुत्री के कत्ल के कलंक से न सिर्फ मुक्त कर दिया है, बल्कि इस मामले की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा है. इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ मृतका के पुत्र ने शिकायत की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं

महिला और उसकी नातिन के दोहरे कत्ल में फरियादी को ही आरोपी बनाकर पुलिस की मिलीभगत से उसे आजीवन कारावास की सजा करवा दी गई थी. इसे लेकर मृतका के पुत्र पहलवान सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की. 17 साल बाद इस अपील का कोर्ट ने निराकरण किया है. निर्दोष ठहराए गए पहलवान सिंह को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये एक महीने के भीतर सरकार को देने के निर्देश दिए गए हैं. यह भी कहा गया है कि सरकार चाहे तो इस रकम को दोषपूर्ण विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी एसडी नायर से भी वसूल सकती है

दरअसल, दतिया जिले के गोदन थाना क्षेत्र के तैढौत गांव में रहने वाले पहलवान सिंह की मां ब्रज रानी और पहलवान सिंह की बेटी चांदनी की 28 अक्टूबर 2000 को हत्या कर दी गई थी. मकान पर कब्जे के विवाद में पड़ोसियों में संघर्ष हुआ था.

कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

» सरकार द्वारा गाइडलाइंस नहीं बनाने से नाराज है उच्च न्यायालय

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कोरोना से मृत लोगों के डेथ सर्टिफिकेट के संबंध में केंद्र सरकार से गाइडलाइंस बनाने को कहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हम पहले भी आदेश दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। यही स्थिति रही तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी और आप गाइडलाइंस नहीं बना पाएंगे।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की दो जजों की बेंच ने इस संबंध में 11 सितंबर तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बेंच ने कहा कि हमने इस संबंध में काफी पहले ही ऑर्डर दिया था। एक बार इसकी समय-सीमा भी बढ़ा चुके हैं। जब तक आप गाइडलाइन बनाएंगे तब तक तीसरी लहर भी खत्म हो चुकी होगी। इसके जरिए कोर्ट अपने 30 जून के फैसले का हवाला दे रही थी। इस फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोरोना डेथ सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित गाइडलाइंस को आसान बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि डेथ सर्टिफिकेट पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि 'कोविड-19 से मौत' ताकि मृतक आश्रितों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

13 सितंबर तक पेश करें रिपोर्ट - मामले में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने शीर्ष कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी चीजों पर विचार किया जा रहा है। वहीं याचिकार्ता एडवोकेट गौरव कुमार बंसल ने कहा कि विचार करने के नाम पर देरी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पहले ही 16 अगस्त को 4 से 6 हफ्तों की मोहलत दी जा चुकी है। अब केंद्र फिर से एक बार मोहलत मांग रहा है। वहीं कुछ अन्य मामलों के लिए पेश होने वाले एडवोकेट सुमीर सोढ़ी ने कहा कि 30 जून को मिली मोहलत 8 सितंबर को खत्म हो रही है।

भारत-अमेरिका के बीच हुई बड़ी डील

» एयर-लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर समझौता

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्विपक्षीय रक्षा और सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाया है। दोनों देशओं ने एयर-लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के विकास में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर 30 जुलाई को डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के समग्र ढांचे के तहत हस्ताक्षर किए गए। संधि पर रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने इसे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसने एक बयान में कहा, रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग ने 30 जुलाई को रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) में संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणाली के तहत एएलयूएवी के लिए एक परियोजना समझौते (पीए) पर हस्ताक्षर किए। पीए समझौता दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, विकास, परीक्षण और मूल्यांकन (आरडीटी एंड ई) समझौते के दायरे में आता है जिसपर पहली बार 2006 में हस्ताक्षर किया गया था और जनवरी 2015 में इसका रिनुअल हुआ था।

मंत्रालय ने कहा कि डीटीटीआई का मुख्य उद्देश्य सहयोगी प्रौद्योगिकी विनिमय को बढ़ावा देने के लिए निरंतर नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करना और भारतीय और अमेरिकी सैन्य बलों के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकियों के उत्पादन और विकास के अवसर पैदा करना है। डीटीटीआई के तहत, संबंधित डोमेन में परस्पर सहमत परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए थलसेना, नौसेना, वायु सेना और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की गई है। दोनों पक्षों ने 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और अमेरिका से भारत को उच्च तकनीक की बिक्री की सुविधा प्रदान करता है। पिछले साल अक्टूबर में, भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते को सील कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सज्जन कुमार की जमानत अर्जी

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में 1984 में हुए सिख दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया है। सज्जन कुमार ने मेडिकल कारणों से अंतरिम बेल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। उनकी सेहत स्थिर होने और लगातार सुधार दिखने के चलते कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि उनका इलाज सुपर वीआईपी की तरह नहीं हो सकता।

सज्जन कुमार के वकील ने कहा कि उनकी सेहत खराब है। ऐसे में मेदांता अस्पताल में वह अपने ही खर्चे पर इलाज कराना चाहते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि उन्हें सुपर वीआईपी जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। हम उन्हें बेल नहीं दे सकते। इससे पहले अदालत ने 24 अगस्त को सुनवाई करते हुए सीबीआई को आदेश दिया था कि वह बताए कि सज्जन कुमार की हालत कैसी है और क्या उन्हें बाहर से इलाज कराने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में 1984 के दंगों के दोषी सज्जन कुमार ने अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि उनकी सेहत लगातार खराब हो रही है।

कर्नाटक में मवेशियों के 40 टन सींग, हड्डियां जब्त

चिक्कबल्लापुर (आरएनएस)। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन ट्रकों से गाय, भैंस और अन्य जानवरों की 40 टन हड्डियां और सींग जब्त किए हैं और तीन लोगों को हिरासत में लिया है। शरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति उन ट्रकों के चालक हैं जिनका उपयोग मवेशियों के सींग और हड्डियों को हैदराबाद से बागपल्ली तालुक के गोनीपल्ली गांव में ले जाने के लिए किया जाता है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सदाक्त अली, तौफीक और बशीर अंसारी के रूप में हुई है।

आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि मवेशियों के सींग और हड्डियों का चूर्ण बनाकर पशुओं के चारे में मिलाया गया था। बागपल्ली पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर जब्त सींग और हड्डियों को वन क्षेत्र में निस्तारित कर दिया है। बागपल्ली पुलिस के अनुसार, हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में सींग, मवेशियों की हड्डियों को बेचने के कारोबार में शामिल वाहन के मालिकों और गिरोह को पकड़ने के लिए तलाश की जा रही है।

देश में कोरोना संक्रमण में मामूली गिरावट, पिछले 24 घंटे में 45,352 नए मामले, 366 मरीजों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को मामूली गिरावट दर्ज की गई। मसलन पिछले 24 घंटे में 45,352 नए मामले दर्ज किये गये तो वहीं संक्रमण से हुई मौतों में आई कमी के बाद 366 लोगों को संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 45,352 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,29,03,289 हो गई। वहीं लगातार उपचाराधीन सक्रीय मरीजों की संख्या में भी 10,195 बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 366 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,39,895 हो गई, जिसके बाद मृत्यु दर 1.34 प्रतिशत हो गई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,99,778 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.22 प्रतिशत है। जबकि मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.45 प्रतिशत है। देश में अभी तक कुल 3,20,63,616 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।

महाराष्ट्र में मौतों के मामले में आगे - मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 366 लोगों की हुई मौतों में से केरल के 188 लोग और महाराष्ट्र के 55 लोग थे। देश में अभी तक संक्रमण से कुल 4,39,895 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,37,551 लोग, कर्नाटक के 37,361 लोग, तमिलनाडु के 34,961 लोग, दिल्ली के 25,082 लोग, उत्तर प्रदेश के 22,841 लोग, केरल के 21,149 लोग और पश्चिम बंगाल के 18,472 लोग थे।

टीकाकरण अभियान जारी- मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 67.09 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। देश में अभी तक कुल 52,65,35,068 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 16,66,334 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को की गई। दैनिक संक्रमण दर 2.72 प्रतिशत है। वहीं, साप्ताहिक संक्रमण दर 2.66 प्रतिशत है,जो पिछले 70 दिन से तीन प्रतिशत से कम है।

उतार चढ़ाव के बीच जारी प्रकोप- देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए।